न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 101/2021

अपीलाण्ट्स :–

1. सिद्धार्थसिंह पुत्र स्व. श्री मानवेन्द्रसिंहजी, जाति राजपुत, निवासी रोहटगढ, तहसील रोहट, जिला पाली (राज.)
2. श्रीमती भावनासिंह पुत्री स्व. श्री मानवेन्द्रसिंहजी, पत्नी श्री मयूरध्वजसिंहजी जाति राजपुत, निवासी बाठेडा हाऊस, उदयपुर (राज.)
3. अविजितसिंह पुत्र सिद्धार्थसिंहजी, जाति राजपुत, निवासी रोहटगढ, तहसील रोहट, जिला पाली (राज.)
4. जान्हवीसिंह पुत्री सिद्धार्थसिंहजी, जाति राजपुत, निवासी रोहटगढ, तहसील रोहट, जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट :– राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार महोदय, रोहट, जिला पाली (राज.)

उपस्थिति :–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता, अपीलाण्ट्स की ओर से
2. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय दिनांक : 17-11-2021

1. अपीलाण्ट्स ने एक वाद धारा 88, 188 राज. टिनेन्सी एक्ट एवं धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम के तहत् अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था, जिसके वाद संख्या 25/2020 है, उपरोक्त वाद को अपीलाधीन निर्णय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट्स की ओर से उपरोक्त अपील पेश की गई। अपील को दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों पक्षो की बहस सुनी गई।
2. कि अपीलाण्ट्स अधिवक्ता द्वारा अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट्स की ओर से वाद धारा 88, 188 राज. टिनेन्सी एक्ट एवं धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया था कि ग्राम भाकरीवाला, तहसील रोहट के गत खसरा नम्बर 751 से 783 कुल रकबा 843 बीघा 4 बिस्वा भूमि संवत् 2012 में डोली बनाम मठ श्री महादेवजी महाराज वाके देह बएतमाम ठिकाना की मालिकाना खतौनी बंदोबस्त में दर्ज थी तथा खातेदार कृषक के रूप में विक्रमसिंह पुत्र दलपतसिंह कौम राजपुत, साकिन रोहट का खतौनी बंदोबस्त में इन्द्राज दर्ज़ है। संवत् 2018–19 में भूमि एकीकरण हुआ था, उस समय उपरोक्त गत खसरा नं. 752 से 772 व 774 से 776 व 778 से 782 कुल रकबा 325 बीघा 3 बिस्वा के नये वर्तमान खसरा नंबर 447/1 बने है। इसी तरह गत खसरा नंबर 751 व 783 के वर्तमान खसरा नंबर 447/2 बने है। इसी तरह गत खसरा नंबर 749 के वर्तमान खसरा नंबर 442, गत खसरा नंबर 773 के वर्तमान खसरा नंबर 444, गत खसरा नंबर 777 के वर्तमान खसरा नं. 445, गत खसरा नंबर 781 के वर्तमान खसरा नंबर 446 बने है। उपरोक्त भूमि की खतौनी संवत् 2019 में पूर्ववत् इन्द्राज अर्थात् जो इन्द्राज संवत् 2012 की खतौनी बंदोबस्त में थे, वे ही इन्द्राज यथावत् सवंत् 2019 की खतौनी में दर्ज किये गये अर्थात् संवत् 2019 की खतौनी में भी मालिक व भोक्ता के रूप में डोली बनाम मठ श्री महादेवजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

महाराज वाके देह बएतमाम ठिकाना तथा कृषक के रूप में विक्रमसिंह पुत्र दलपतसिंह कौम राजपुत साकिन रोहट खातेदार के रूप में इन्द्राज है। इस प्रकार विक्रमसिंह पुत्र दलपतसिंह संवत् 2012 से उपरोक्त भूमि के खातेदार के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा काबिज काश्त रहे है। उक्त वादग्रस्त भूमि डोली बनाम मठ श्री महादेवजी के मालिकाना जागीरी की रही है और संवत् 2012 के पूर्व से उपरोक्त भूमि पर बतौर खातेदार कृषक के रूप में विक्रमसिंह पुत्र दलपतसिंहजी काबिज रहे है एवं काश्त करते रहे है। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के अनुलग्न अनुसूची प्रथम के क्रम संख्या 15 पर माफी को तथा 38 पर डोली को जागीर की श्रेणी में माना गया है, इसलिए उपरोक्त भूमियों पर उक्त अधिनियम 1952 के प्रावधान अक्षरशः लागू होते है। उपरोक्त अधिनियम 1952 की धारा 9 अनुसार जो व्यक्ति उक्त अधिनियम के लागू होने के समय राजस्व अभिलेखो में खातेदार के रूप में या किसी अन्य रूप में या कृषक काश्तकार के रूप में दर्ज होगा वह पूर्णरूपेण खातेदार काश्तकार कहलायेगा तथा उक्त प्रावधान के अनुसार अर्हता रखने वाले मुर्ति माफी या डोली के काश्तकार को डोली पुर्नग्रहण की दिनांक से कानूनी रूप से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जायेगें। उपरोक्त प्रावधानों अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि माफी अर्थात् महादेवजी की जागीरी की थी, जिस पर बतौर काश्तकार व खातेदार के काश्त उक्त अधिनियम लागू होने के समय और उक्त जागीरी अर्थात् डोली रिज्यूम के समय भी विक्रमसिंहजी बतौर खातेदार काबिज थे। तत्पश्चात् डोली रिज्यूम होने पर भोक्ता के सारे अधिकार राजस्थान सरकार को प्राप्त हो गये तथा काश्तकार खातेदार के रूप में विक्रमसिंहजी को राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में खातेदार के रूप में दर्ज कर दिया। इस संबंध में उक्त डोली की जागीरी को दिनांक 01.07.1965 को पुर्नग्रहित अर्थात् रिज्यूम की गई थी, जिस पर डोली बनाम मठ महादेवजी के स्थान पर राजस्थान सरकार दर्ज किया गया था, शेष इन्द्राज अर्थात् कृषक का नाम यथावत दर्ज रहा है। उपरोक्त विक्रमसिंहजी पुत्र दलपतसिंहजी अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 के दादाजी एवं अपीलाण्ट संख्या 3 व 4 के परदादाजी थे, जिनका देहांत सन् 1972 में होने से उनके विधिक वारिस ज्येष्ठ पुत्र ठाकुर मानवेन्द्रसिंहजी, छुटभाई अर्थात् अनुज अनुक्रमसिंहजी हुए है। विक्रमसिंहजी के जीवनकाल में उनके पिता दलपतसिंहजी ने एक लिखत समस्त संपति का निष्पादित किया था, जिसमें अनुक्रमसिंहजी को उनके हिस्से की संपति देकर शेष समस्त संपति ज्येष्ठ पुत्र मानवेन्द्रसिंहजी को देने बाबत् दस्तावेज निष्पादित किया था, जो दस्तावेज दिनांक 08.03.1949 को सब रजिस्ट्रार पाली द्वारा पंजीबद्ध है। इस तरह उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर विक्रमसिंहजी के देहांत के बाद एकमात्र अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 के पिता व अपीलाण्ट संख्या 3 व 4 के दादाजी ठाकुर मानवेन्द्रसिंहजी अपने जीवनकाल तक काबिज काश्त बतौर खातेदार रहे है। उक्त ठाकुर मानवेन्द्रसिंहजी का देहांत दिनांक 02.02.2014 को हो गया है। उक्त मानवेन्द्रसिंहजी के देहांत के समय अपीलाण्ट संख्या 3 व 4 का जन्म हो चुका था उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक संपति है, इसलिए अपीलाण्ट संख्या 3 व 4 के जन्म होते ही विधिक रूप से उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के कोपार्सनर हो चुके है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि को अवैध रूप से बिना किसी कानून के म्यूटेशन संख्या 254 द्वारा अमरवीरसिंह को खसरा नं. 447/2 का, म्यूटेशन संख्या 255 द्वारा दरियाव कुंवर को खसरा नं. 447/1 मीन रकबा 167 बीघा 10 बिस्वा का एवं म्यूटेशन संख्या 256 द्वारा मुस्मात ज्योति कुमारी को खसरा नं. 447/1 रकबा 157 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 442, 444, 445, 446 का खातेदार विक्रमसिंहजी के स्थान पर दर्ज कर दिया। तद्नुसार जमाबंदी संवत् 2027 से 2030 से लगाकर जमाबंदी संवत् 2035 से 2038 तक लगातार नाम दर्ज रहा, तत्पश्चात् पुनः म्यूटेशन संख्या 660, 661, 662 दिनांकित 7.12.1978 द्वारा उपरोक्त तीनों व्यक्तियों की खातेदारी समाप्त कर श्रीमान तहसीलदार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पाली के आदेश कमांक रेवेन्यू 1556 दिनांक 28.11.1975 द्वारा ''डोली बनाम मठ महादेवजी पुजारी मानवेन्द्रसिंह पुत्र विक्रमसिंहजी जाति राजपुत'' दर्ज कर दिया और इसी अनुसार उपरोक्त म्यूटेशन के आधार पर जमाबंदी में संवत् 2039 से 2042 में पुनः ''बनाम मठ महादेवजी पुजारी मानवेन्द्रसिंहजी पुत्र विक्रमसिंहजी कौम राजपुत साकिन देह रोहट'' का नाम दर्ज कर दिया, जो यथावत् राजस्व रेकर्ड में चलता रहा है। तत्पश्चात् राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 31.12.1991 के आधार पर उपरोक्त राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में ''पुजारी मानवेन्द्रसिंह पुत्र विक्रमसिंहजी कौम राजपुत साकिन देह रोहट'' इन्द्राज को हटा दिया। म्यूटेशन संख्या 254 से 256 एवं 660 से 662 पूर्णरूपेण अवैध और शून्य दस्तावेज है, उक्त म्यूटेशन धारा 19 राज. टिनेन्सी एक्ट के तहत् म्यूटेशन संख्या 254 से 256 को दायर किये गये थे और ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किये गये थे। विधिनुसार न तो धारा 19 के तहत् म्यूटेशन के जरिये खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है, न ही ग्राम पंचायत ऐसे कोई म्यूटेशन स्वीकृत करने की अधिकारिता रखती है, न ही धारा 19 के तहत् खातेदारी अधिकार दिये जाने के अधिकार तहसीलदार को प्राप्त है। म्यूटेशन संख्या 660 से 662 दिनांकित 07.12.1978 भी प्रारंभ से ही अवैध और शून्यवृत्त है तथा उपरोक्त म्यूटेशन को तहसीलदार पाली के आदेश कमांक रेवेन्यू 1556 दिनांक 28.11.1975 की पालना में दायर किया जाना बताया, वह आदेश भी विधिक रूप से शून्य है, क्योंकि उक्त आदेश द्वारा भूमि को डोली बनाम मठ महादेवजी की खातेदारी दर्ज कर दी और अपीलाण्ट्स के पिता/दादा को पुजारी के रूप में दर्ज किया है और अपीलाण्ट्स के पिताजी/दादाजी के नाम की खातेदारी हटा दी, जो इन्द्राज अवैध है, क्योंकि उपरोक्त भूमि उक्त डोली अथवा बनाम मठ महादेवजी के खुदकाश्त की नहीं रही है, बल्कि उपरोक्त अधिनियम 1952 प्रभाव में आने के समय से लगाकर अब तक खातेदार के रूप में अपीलाण्ट्स, अपीलाण्ट्स के पहले पिता/दादा मानवेन्द्रसिंहजी और उनके पूर्व पूर्वज विक्रमसिंहजी खातेदार के रूप में काबिज रहे है, काश्त की है और आज दिनांक तक काश्त कर रहे है। उपरोक्त जागीरी अधिनियम 1952 की धारा 9 अनुसार जो भूमि डोली अथवा मंदिर मुर्ति की संवत् 2009, संवत् 2012 अथवा जागीर रिज्यूम के समय खुदकाश्त की दर्ज होगी, उसी भूमि के खातेदारी अधिकार मंदिर मुर्ति को प्राप्त होगें, शेष मामलो में अर्थात् कृषक के कॉलम में भूमि खुदकाश्त दर्ज नहीं होकर किसी भी व्यक्ति का काश्त दर्ज है अथवा काश्तकार के रूप में अन्य किसी भी व्यक्ति का नाम दर्ज है तो वह व्यक्ति जागीरी रिज्यूम के समय खातेदारी अधिकार विधिक रूप से स्वतः ही प्राप्त कर लेता है अर्थात् स्वतः ही बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी प्राप्त कर लेगा, उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में मालिक अथवा भोक्ता के कॉलम में डोली अथवा मंदिर अथवा मुर्ति के स्थान पर सरकार का नाम दर्ज होगा तथा कृषक के कॉलम में खातेदार के रूप में काबिज व्यक्ति का नाम दर्ज होगा। इस संबंध में सही स्थिति को स्पष्ट करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24.05.2007 और दिनांक 25.11.2011 को दो अलग अलग परिपत्र जारी कर विधिक स्थिति को स्पष्ट किया है एवं विशिष्ठ निर्देश दिये गये है कि ऐसे मामले में धारा 136 में तुरंत ही स्वविवेक से राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाकर संबंधित व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जावें। उपरोक्त वाद का रेस्पोडेण्ट की ओर से जवाबदावा पेश कर वाद में वर्णित तथ्यों से इंकार किया, अन्य कोई विशिष्ठ कथन नहीं किये गये, न ही दस्तावेजी साक्ष्य का खण्डन किया, न ही कोई दस्तावेज पेश किये।

3. कि दोनों पक्षो के अभिवचनों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निम्न तनकीयात कायम की गई।

(1) आया ग्राम भाकरीवाला के वर्तमान खसरा नम्बर 447/1, 447/2 व 442 की भूमि संवत् 2012 से अपीलाण्ट्स के पूर्वज विक्रमसिंह की खातेदारी की व कब्जा काश्त की चली आ रही है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

नामान्तरकरण संख्या 254 से 256 व 660 से 662 द्वारा खातेदारी समाप्त कर दी, जो इन्द्राज अपीलाण्ट्स के हक अधिकार के विरूद्ध शून्य होने से अपीलाण्ट्स खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

.... जिम्मे अपीलाण्ट्स

(2) आया वादग्रस्त भूमि अपीलाण्ट्स के पूर्वजो की पैतृक होने से अपीलाण्ट्स संख्या तीन व चार भी कोपार्सनर है एवं अपीलाण्ट्स लगातार पूर्वजो के समय से बतौर खातेदार काबिज काश्त होने से स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

.... जिम्मे अपीलाण्ट्स

(3) आया वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में बनाम मठ महादेवजी वर्तमान जमाबंदी में दर्ज होने से यह वाद पोषणीय नहीं है।

.... जिम्मे रेस्पोडेण्ट

(4) आया खातेदारी होने पर भूमि सिलिंग में जायेगी या नहीं?

.... जिम्मे रेस्पोडेण्ट

(5) अनुतोष

4. अपीलाण्ट्स की ओर से पी.डब्ल्यू–1 सिद्धार्थसिंह, पी.डब्ल्यू–2 मनोहरसिंह, पी. डब्ल्यू– 3 नारायणलाल, पी.डब्ल्यू– 4 बाबुलाल, पी.डब्ल्यू– 5 बाबुसिंह के साक्ष्य में शपथ पत्र पेश हुए। उपरोक्त गवाहान के बयान लिये गये। दस्तावेज प्रदर्श– 1 वर्तमान जमाबंदी, प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2068 से 2071, प्रदर्श–3 जमाबंदी संवत् 2039 से 2042, प्रदर्श– 4 जमाबंदी संवत् 2035 से 2038, प्रदर्श– 5 जमाबंदी संवत् 2035 से 2038, प्रदर्श– 6 जमाबंदी संवत् 2031 से 2034, प्रदर्श– 7 जमाबंदी संवत् 2031 से 2034, प्रदर्श– 8 जमाबंदी संवत् 2031 से 2034, प्रदर्श– 9 जमाबंदी संवत् 2027 से 2030, प्रदर्श– 10 जमाबंदी संवत् 2027 से 2030, प्रदर्श– 11 जमाबंदी संवत् 2027 से 2030, प्रदर्श– 12 जमाबंदी संवत् 2023 से 2026, प्रदर्श– 13 जमाबंदी संवत् 2019 से 2022, प्रदर्श– 14 भूमि एकीकरण खतौनी संवत् 2019, प्रदर्श 15 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–16–17 खतौनी बंदोबस्त भू–प्रबंधक विभाग संवत् 2012, प्रदर्श–18 म्यूटेशन संख्या 100, प्रदर्श–19 से 21 म्यूटेशन संख्या 660 से 662, प्रदर्श–22 से 24 म्यूटेशन संख्या 254 से 256 पेश किये, जिन्हें साक्ष्य में प्रदर्शित करवाये। रेस्पोडेण्ट की ओर से साक्ष्य में डी.डब्ल्यू–1 पटवारी चचंल दवे पेश हुआ, जिसके बयान लिये गये। रेस्पोडेण्ट की ओर से अन्य कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की गई।

5. अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 24.05.2007 एवं दिनांक 25.11.2011 व दिनांक 18.09.2019 की ओर ध्यान आकर्षित किया, साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की लार्जर बैंच द्वारा पारित निर्णय तारा बनाम स्टेट 2015(2) आरआरटी पैरा 25 व 26, 2016(1) आरआरटी पेज 317, 520, 2018(1) आरआरटी पेज 228, 2018 आरआरडी पेज 687, 700, 2019 आरआरडी पेज 188, 2015 आरआरडी पेज 370, 2017 आरआरडी पेज 364, 1996 डीएनजे (सुप्रीम कोर्ट) पेज 1, 2000 आरआरडी पेज 14, 119, 189 के न्यायिक दृष्टान्त पेश करते हुए निवेदन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं मान. राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा उपरोक्त पारित न्यायिक दृष्टान्तों की रोशनी में एवं राज्य सरकार के परिपत्रों के आधार पर अपीलाण्ट्स वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। राजस्व रिकॉर्ड दस्तावेजात से यह प्रमाणित है कि उपरोक्त भूमि कभी भी डोली मंदिर महादेवजी की खुदकाश्त नहीं रही है, बल्कि संवत् 2012 के पूर्व से मिसल बंदौबस्त एवं समस्त राजस्व रिकॉर्ड में अपीलाण्ट्स के पूर्वज खातेदार के रूप में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

दर्ज रहे है, इसलिए धारा 15 राज. काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 9 जागिरी रिजम्पशन एक्ट 1952 अनुसार अपीलाण्ट्स का वाद स्वीकार योग्य है। अपीलाण्ट्स के जिम्मे की सभी तनकीयात अपीलाण्ट्स द्वारा स्वयं के पक्ष में साबित है। म्यूटेशन संख्या 254 से 256 और 660 से 662 तथा इनमें वर्णित आदेश शून्य है, क्योंकि वादग्रस्त भूमि हमेशा से ही अपीलाण्ट्स के पूर्वज दलपतसिंहजी एवं मानवेन्द्रसिंहजी के खातेदारी की कब्जा सुदा रही है। धारा 19 के तहत् म्यूटेशन संख्या 254 से 256 ग्राम पंचायत द्वारा पारित किये गये है, जो अवैध है, क्योंकि ग्राम पंचायत को धारा 19 के तहत् म्यूटेशन स्वीकृत करने की अधिकारिता नहीं है, साथ ही बिना किसी दस्तावेज के धारा 19 के तहत् म्यूटेशन स्वीकृत करने की अधिकारिता नहीं है। म्यूटेशन संख्या 660 से 662 तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी के आदेश द्वारा पारित कर वादग्रस्त भूमि को मंदिर महादेवजी के नाम दर्ज करते हुए मानवेन्द्रसिंह को पुजारी इन्द्राज करने बाबत् कोई आदेश उपलब्ध नहीं है, तथा ऐसा आदेश अपीलाण्ट्स के अधिकारो व हितो के विरूद्ध बेअसर व शून्य है, क्योंकि अपीलाण्ट्स के पूर्वज विधिक रूप से वादग्रस्त भूमि के खातेदार थे, लेकिन गलत रूप से उपरोक्त म्यूटेशन और उसमें वर्णित आदेशो के आधार पर बनाम मठ महादेवजी पुजारी मानवेन्द्रसिंह दर्ज कर दिया, जो आदेश उपलब्ध नहीं है, न ही ऐसे आदेशो का अस्तित्व है। ऐसे आदेशो के आधार पर अपीलाण्ट्स के खातेदारी अधिकारो को खत्म नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य तथा न्यायिक दृष्टान्तों अनुरूप तनकी संख्या 1 व 2 अपीलाण्ट्स के पक्ष में साबित है, इसलिए अपीलाण्ट्स के पक्ष में निर्णित की जानी चाहिए, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी विवेचन के और बिना तनकीयात निर्णित किये वाद को खारिज किया है, जो विधिक निर्णय नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

6. अपीलाण्ट्स अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि तनकी संख्या 3 व 4 रेस्पोडेण्ट के जिम्मे थी, जिस बाबत् रेस्पोडेण्ट की ओर से किसी प्रकार की कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की है। रेस्पोडेण्ट की ओर से प्रस्तुत गवाह डी. डब्ल्यू–1 चचंल दवे से भी वादपत्र में वर्णित अभिवचनो की पुष्टि होती है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किंसी आधार के अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो अपास्त योग्य है एवं अपीलाण्ट्स का वाद स्वीकार योग्य है। तनकी संख्या 3 व 4 रेस्पोडेण्ट के पक्ष में किसी भी रूप से साबित नहीं है, इस कारण से अपील स्वीकार योग्य है और अपीलाण्ट्स वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय बिना पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किये ही सरसरी तौर से केवल इस आधार पर पारित किया है कि उपरोक्त भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में है, जबकि उपरोक्त भूमि किसी भी कानून में प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि नहीं है। किस प्रकार से प्रतिबंधित श्रेणी में आती है, कोई स्पष्ट नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना माईण्ड एप्लाई किये ही निर्णय पारित किया है, जो खारिज योग्य है, इसलिए अपील स्वीकार की जावे एवं अपीलाण्ट्स का वाद डिकी किया जावें।

7. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय पैरोकार ने निवेदन किया कि उपरोक्त भूमि डोली बनाम मठ श्री महादेवजी महाराज के नाम की हमेशा से ही दर्ज रही है। वर्तमान में उपरोक्त भूमि बनाम मठ महादेवजी के नाम से खातेदारी दर्ज है। मंदिर मूर्ति नाबालिग होती है, जिसकी भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। राजस्व रिकॉर्ड में हमेशा से ही डोली बनाम मठ श्री महादेवजी की मालिकाना एवं खातेदारी की रही है। उपरोक्त भूमि को गलत रूप से म्यूटेशन संख्या 254 से 256 द्वारा तीसरे पक्षकार के नाम खातेदारी का इन्द्राज धारा 19 के तहत् किये गये थे, जिसे पुनः म्यूटेशन संख्या 660 से 662 द्वारा निरस्त करते हुए पूर्व इन्द्राज बहाल किये है। उपरोक्त भूमि के खातेदारी अधिकार दिये जाने से सिलिंग कानून के प्रावधान प्रभावित होंगे। अपीलाण्ट्स के नाम भूमि सिलिंग सीमा से अधिक होगी, जिस बाबत् खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है, इसलिए

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपील खारिज की जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से निर्णय एवं डिक्री पारित किये है।

8. दोनों पक्षो की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त एवं परिपत्रो का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 24.05.2007 एवं दिनांक 25.11.2011 में निम्न स्थिति दर्ज की है। परिपत्र राज. सरकार राजस्व ग्रुप(6)विभाग कमांकः3(2)राज–6/2007/पार्ट/5 जयपुर दिनांक 12.09.2018 व कमांक 3(2)राज–6/2007/पार्ट/101 जयपुर दिनांक 18.09.2019 एवं परिपत्र दिनांक 25.11.2011 अनुसार "(अ) राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नःग्रहण अधिनियम 1952 के अनुलग्न अनुसूची प्रथम के क्रम संख्या 15 पर माफी को जागीर की श्रेणी में माना है अतः माफी में प्रदत्त भूमियों पर राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नःग्रहण अधिनियम के प्रावधान अक्षरशः लागू होते है।" "(ब) राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के किसी भी प्रावधानों में अवयस्क की माफी को पुनर्ग्रहित (resumption) करने पर कोई रोक नहीं है। इसलिये अवयस्क की माफी अर्थात् मूर्ति मंदिर की माफी भूमि भी राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुर्नःग्रहण अधिनियम 1952 के तहत् पुर्नग्रहित (resume) की जाना थी।" "(स) राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुर्नःग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अनुसार जो निम्न है :– जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार :– जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार पट्टेदार खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अन्तर्हित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पूर्ण अंतरण के अधिकार प्राप्त है दर्ज है से अधिकार प्राप्त रहेगें और वह ऐसी भूमि के संबंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा। उक्त प्रावधान के अनुसार अर्हता रखने वाले मूर्तिमाफी के काश्तकार को पुर्नःग्रहण की दिनांक से कानूनी रूप से खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हो गये।" इसके अलावा परिपत्र दिनांक 24.05.2007 में निम्न व्यवस्था निर्धारित की है :– "मंदिरों को माफी की भूमि जागीर के रूप में भी दी गयी थी तथा राज. भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रभावी होने पर जागीरों के पुर्नग्रहण के साथ–साथ ऐसी भूमियों का निस्तारण इस अधिनियम के प्रावधानों के अर्न्तगत किया गया जिसके अनुसार जो भूमि जागीरों के पुर्नग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पट्टेद्वार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरंतर दर्ज करते हुए खातेदारी निरंतर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये है। विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के अनुसरण में ऐसी भूमियों को वापिस मंदिर के नाम दर्ज किया जा रहा है, उचित नहीं है।" इसके अलावा इसी परिपत्र में यह भी निर्णित किया है कि "जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेद्वार अथवा खादिमदार आदि नाम से दर्ज थी उनमें उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त है। ऐसी भूमियों को पुनः मंदिर के नाम दर्ज किया जाना विधिसम्मत नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में ऐसे व्यक्तियां का नाम निरंतर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा।" इसके अलावा इस सम्बन्ध में राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 का वर्णन दोनों ही परिपत्रों में किया गया है, जिस अनुसार कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के समय जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो खातेदार, पट्टेद्वार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में काश्तकार दर्ज है तो उसे आनुवांशिक एवं पूर्ण अंतरण के अधिकार प्राप्त होगें और ऐसी भूमि के सम्बन्ध में वह व्यक्ति खातेदार काश्तकार कहलायेगा तथा उसे मूर्ति माफी के काश्तकार को पुर्नःग्रहण की दिनांक से कानूनी रूप से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जायेगें।

अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

9. इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत अनुसूची द्वितीय में क्रम संख्या 1 पर जागीर, क्रम संख्या 38 पर डोली एवं क्रम संख्या 15 पर माफी शब्द दर्ज है, ये सभी जागीर के ही नाम है। इस प्रकार से विधि में डोली अथवा माफी को जागीर के रूप में ही माना जाना उपरोक्त अनुसूची एवं धारा 9 अनुसार स्पष्ट रूप से प्रमाणित है।

10. अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2012(1) आरआरटी पेज 868 अनुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की लार्जर बैंच को प्रेषित किये गये रेफरेंस में पृष्ठ संख्या 1 का उत्तर उपरोक्त निर्णय के पद संख्या 25 व 26 में निम्नानुसार दिया है :– In our opinion, on the aforesaid settled principles of law, the Hindu idol (deity) could only hold such lands in Jagir, which Shebait/Pujari was cultivating for such deity, having direct nexus with agricultural operations either themselves or through hired labour or servant engaged by them as to claim to be khudkasht and to be protected from resumption/acquisition under the Jagirs Act of 1952. If the land was given for cultivation to a tenant or was cultivated through a tenant, such land became khatedari of the tenant and on which the tenant had direct relations with the State. The Jagirs Act of 1952 took away all the rights of the Jagirdars including Hindu Idol (deity) as Dolidar or Muafidar on the land cultivated by the tenants. The ceased to have any right on such land. The Shebait/Pujari could not have any independent status to have claimed any right over such land cultivated by tenants. Such tenancy could also not be regarded as sub-tenant of Hindu Idol (deity) to confer any right on the Hindu Idol (deity).

26. In view of the above discussion, we decide the question no. (i) in favour of the State and against the Shebait/Pujari claiming the Hindu idol (deity) as Dolidar or Muafidar cultivated by a person othe than the Shebait/Pujari of the deity personally or by hired labour or servants engaged by its Shebait/Pujari as a tenant of the deity, shall vest in the State, after the Jagirs Act of 1952. The Hindu idol (deity), even if it is reated to be a perpetual minor, could not continue to hold such land. Such land cannot be treated to be in its personal cultivation. A tenant of such land cultivating the land acquired the rights of khatedar of the State. Such land under the tenancy of a person other than Shebait/Pujari of Hindu idol (deity) became khatedari land of such tenant. The name of Hindu idol (deity) from such land had to be expunged from the revenue records with Shebait/Pujari having no right to claim the land as Khatedar. Consequently, the had no right to transfer such land, and all such transfers have to be treated as null and void, in contravention of the Jagirs Act 1952, and the land under such transfers to be resumed by the State.

न्यायिक दृष्टान्त 1996 डीएनजे (सुप्रीम कोर्ट) पेज 1 में भी उपरोक्तानुसार ही अभिनिर्धारित किया है कि जो व्यक्ति जागीर रिज्यूम के समय राजस्व रिकॉर्ड में कृषक के रूप में दर्ज है, उसे पूर्ण खातेदारी अधिकार प्राप्त होगें। न्यायिक दृष्टान्त 2000 आरआरडी पेज 14, 109, 189, 570 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी यही निम्न व्यवस्था अभिनिर्धारित की है :– tenant is recorded in revenue records as khatedar or under any caption, the tenant becomes khatedar tenant by virtue of S. 15 of Raj. Tenancy Act even if the land belonged to deity- In the present case the land being cultivated by petitioner ever since year 1949 and in year 1952 he was recored as tenant cultivating the land, therefore, u/s 9 of Jagirs Act, he had become khatedar- Thus, in view of provisions of Ss. 9 & 10 of Jagirs Act and S. 15 of Tenancy Act, petitioner acquired status of khatedar tenant.

इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त 2003 आरआरडी पेज 71 में भी यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां पर राज. काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय राजस्व रिकॉर्ड में भूमि मूर्ति मंदिर की खुदकाश्त की दर्ज नहीं है, वहां पर धारा 46 राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान भूतलक्षी रूप से लागू नही होगें, तथा काबिज व्यक्ति खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी रहेगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त 2016(1) आरआरटी पेज 317 में यह अभिनिर्धारित किया है कि ''मृतक पी का नाम विलोपित करने और भूमि माफी मंदिर श्री गोपालजी के नाम दर्ज करने हेतु रेफरेंस किया— भूमि मंदिर की खुदकाश्त थी, स्थापित नहीं किया— अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं किया— जमीन पुर्नःग्रहण के बाद पूर्वज खातेदार द्वारा निर्णित रेफरेंस खारिज योग्य है।''

इसी तरह न्यायिक दृष्टान्त 2016(1) आरआरटी पेज 520 में यह निर्धारित किया है कि ''अप्रार्थी का नाम विलोपित करने और भूमि माफीक मंदिर श्री रघुनाथजी के नाम दर्ज करने का आदेश हेतु रेफरेंस— अप्रार्थीगण संवत् 2010 में रिकॉर्डेड खातेदार थे— यदि भूमि खुदकाश्त मानी जावे तब भी यह स्थिति वाद पेश कर साबित करना आवश्यक है। रेफरेंस खारिज।''

इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त 2018(1) आरआरटी पेज 228 में यह निर्धारित किया है कि ''विवादित आराजी मंदिर की खुदकाश्त दर्ज नहीं थी— प्रार्थीगण का नाम काश्तकार के रूप में दर्ज था, ऐसी स्थिति में खातेदारी अधिकार स्वतः प्राप्त हुए।''

इसके अलावा 2018 आरआरडी पेज 688 में यह अभिनिर्धारित किया है कि ''Land in khatedari of Muafi Mandir entered in the name of cultivators is in violation of Section 46, Tenancy Act- Held -Enteries in the Revenue Record shows that land was Muafi Land and entered in the name of Mandir Land was cultivated by persons named in the record-After Jagirdari resumptions Act the cultivators became khatedar of the land as per provisions of the Act."

इसी तरह न्यायिक दृष्टान्त 2018 आरआरडी पेज 700 में यह अभिनिर्धारित किया है कि ''संवत् 2008 से 2011 खसरा गिरदावरी में वादग्रस्त भूमि माफी की खातेदारी में तथा कॉलम नम्बर 6 कृषको के नाम अंकित— जागीर पुर्नःग्रहण के पश्चात् माफीदार के स्थान पर सरकार भूमिधारी तथा काबिज काश्तकार स्वतः खातेदार बन गये।''

इसी तरह न्यायिक दृष्टान्त 2019 आरआरडी पेज 188 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि ''जागीरी अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद भूमि राज्य में विहित होगी तथा रेस्पोडेण्ट्स के पूर्वज एन. तथा एम. कब्जा काश्त में थे तथा भूमि एन. तथा एम. के नाम सही दर्ज की, क्योंकि कॉलम नम्बर 5 में वे कृषक दर्ज थे।

इसी तरह न्यायिक दृष्टान्त 2017 आरआरडी पेज 364 में यह अभिनिर्धारित किया है कि राजस्व रिकॉर्ड में जहां भूमि मंदिर माफी की खुदकाश्त दर्ज नही है और टिनेंट/शिकमी द्वारा काश्त की जा रही थी तो जागीर रिजम्पशन के पश्चात् उक्त भूमि मंदिर माफी की नहीं मानकर उस टिनेंट की खातेदारी में मानी जाएगी। उक्त स्थिति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा तारा बनाम राजस्थान सरकार विनिश्चयन में स्पष्ट कर दी है, ऐसी भूमि पर खातेदार को हस्तान्तरण के भी अधिकार प्राप्त होगें।

इसके अलावा अन्य प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों में भी यही कानूनी स्थिति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं मान. राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा स्पष्ट की है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि जहां भूमि मंदिर माफी अथवा डोली की है वहां पर सर्वप्रथम जागीर रिजम्पशन एक्ट, 1952 की धारा 9 में वर्णित प्रावधानों अनुसार यह देखा जाना आवश्यक है कि राजस्व रिकॉर्ड, मिसल बंदोबस्त अथवा अन्य किसी भी रेकर्ड में उपरोक्त भूमि मंदिर माफी अथवा डोली की खुदकाश्त दर्ज है अथवा नहीं। अगर खुदकाश्त दर्ज है तो उक्त एक्ट 1952 प्रभाव में आने के समय अथवा राज. काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय मालिक भोक्ता के रूप में राज्य सरकार का नाम दर्ज होगा और काश्तकार खातेदार मंदिर माफी को माना जाएगा, लेकिन भूमि खुदकाश्त दर्ज नहीं है और कृषक के कॉलम में मंदिर माफी अथवा डोली के अलावा अन्य कोई व्यक्ति काश्तकार के रूप में दर्ज है तो धारा 9 जागीरी एक्ट एवं धारा 15 राज. काश्तकारी अधिनियम अनुसार वह व्यक्ति

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जागीरी रिज्यूम होते ही अथवा राज. काश्तकारी अधिनियम लागू होते ही स्वतः ही राज्य सरकार का काश्तकार खातेदार हो जाएगा और डोली मंदिर मूर्ति का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। उपरोक्त स्थिति उपर वर्णित परिपत्रों एवं न्यायिक दृष्टान्तो से प्रमाणित है। अपीलाण्ट्स के प्रकरण को उपरोक्त परिपत्रों एवं न्यायिक दृष्टान्तों तथा दस्तावेजात के परिपेक्ष में तनकीवार निम्नानुसार तय किया जा रहा है।

(1) आया ग्राम भाकरीवाला के वर्तमान खसरा नम्बर 447/1, 447/2 व 442 की भूमि संवत् 2012 से वादीगण के पूर्वज विक्रमसिंह की खातेदारी की व कब्जा काश्त की चली आ रही है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरकरण संख्या 254 से 256 व 660 से 662 द्वारा खातेदारी समाप्त कर दी, जो इन्द्राज वादीगण के हक अधिकार के विरूद्ध शून्य होने से वादीगण खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

.... जिम्मे अपीलाण्ट्स

उपरोक्त तनकी को साबित करने का भार अपीलाण्ट्स पर है, इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श—1 से 25 पेश किये है, जिस अनुसार संवत् 2012 और उसके पूर्व तथा पश्चात् उपरोक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में मंदिर मठ महादेवजी का नाम भोक्ता के रूप में दर्ज है और कॉलम नम्बर 5 में अपीलाण्ट्स के पूर्वज विक्रमसिंह का नाम खतौनी बंदोबस्त प्रदर्श— 12, 14, 16 व 17 में दर्ज है। इस प्रकार भूमि मंदिर की खुदकाश्त की दर्ज नहीं है, न ही कभी खुदकाश्त की दर्ज रही है। उपरोक्त विक्रमसिंह अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 के दादा एवं अपीलाण्ट संख्या 3 व 4 के परदादा है। प्रदर्श—18 म्यूटेशन संख्या 100 अनुसार वादग्रस्त भूमि जागीरी अधिनियम प्रभाव में आने के बाद जागीरी अथवा डोली रिज्यूम किये जाने पर भोक्ता अर्थात् भूमि अधिकारी डोली बनाम मठ श्री महादेवजी के स्थान पर राज्य सरकार दर्ज किया गया था और कृषक खातेदार के रूप में पूर्व अनुरूप दर्ज इन्द्राज अनुसार विक्रमसिंह पुत्र दलपतसिंह राजपुत यथावत दर्ज किया गया, तत्पश्चात् तैयार जमाबंदी प्रदर्श 12 संवत् 2023 से 2026 में उपरोक्त विक्रमसिंह का नाम खातेदार के रूप में और मालिक भोक्ता के रूप में राज्य सरकार का नाम दर्ज रहा है। तत्पश्चात् बिना किसी पंजीबद्ध दस्तावेज अथवा निर्णय के म्यूटेशन संख्या 254 से 256 प्रदर्श 22 से 24 से विक्रमसिंह के स्थान पर अमरवीरसिंह, ज्योति कुमारी, दरियाव कुंवर का नाम दर्ज किया गया है, जो विधिक रूप से अवैध इन्द्राज है, क्योंकि भूमि का अंतरण पंजीबद्ध दस्तावेज अथवा न्यायालय की डिक्री द्वारा ही किये जा सकते है। उपरोक्त म्यूटेशन अवैध और शून्यवृत होने से पुनः म्यूटेशन संख्या 660 से 662 प्रदर्श 19 से 21 द्वारा निरस्त किया जाकर पुनः भूमि विक्रमसिंह के अथवा विक्रमसिंह के पुत्र मानवेन्द्रसिंह के नाम दर्ज की जानी थी, लेकिन बिना किसी विधिक औचित्य एवं बिना किसी विधिक आदेश के बनाम मठ महादेवजी पुजारी मानवेन्द्रसिंह का इन्द्राज कर दिया, जो इन्द्राज पूर्णरूपेण अवैध है क्योंकि उपरोक्त भूमि पर धारा 9 जागीरी अधिनियम अनुसार विक्रमसिंह को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे और राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज भी कर दिया था, साथ ही उपरोक्त भूमि कभी भी मंदिर अथवा बनाम मठ महादेवजी के खातेदारी की या खुदकाश्त बाबत् इन्द्राज संपूर्ण राजस्व रिकॉर्ड कभी भी दर्ज नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में उपर वर्णित परिपत्रों, विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक दृष्टान्तों अनुरूप जागीर भूमि में डोली, माफी की भूमि भी शम्मिलित है। उक्त जागीरी अधिनियम की धारा 9 अनुसार भी मंदिर की खुदकाश्त दर्ज नहीं होने और राजस्व रिकॉर्ड में कॉलम नम्बर 5 में कृषक के रूप में अपीलाण्ट्स के पूर्वज विक्रमसिंह का नाम दर्ज होने से विधिनुसार खातेदारी प्राप्त करने के अपीलाण्ट्स अधिकारी है। उपरोक्त न्यायिक 'और विधिक स्थिति तथा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड अनुरूप तनकी संख्या 1 अपीलाण्ट्स के पक्ष में प्रमाणित और निर्णित योग्य है। राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज इन्द्राज बनाम मठ महादेवजी पुजारी का इन्द्राज बिना अधिकारिता व विधिक प्रावधानों के विपरीत

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

होने से अवैध व शून्यवृत घोषित किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट्स ने उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर स्वयं का कब्जा काश्त होना, अपने पिता व दादा के समय से साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया है, जिसका खण्डन रेस्पोडेण्ट की ओर से नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर अपीलाण्ट्स का कब्जा—काश्त संवत् 2012 के पूर्व से खातेदार के रूप में अपने पिता व दादा के समय से होना प्रमाणित है। इस प्रकार तनकी संख्या 1 अपीलाण्ट्स के पक्ष में निर्णित योग्य होने से अपीलाण्ट्स के पक्ष में निर्णित की जाती है।

(2) आया वादग्रस्त भूमि वादीगण के पूर्वजो की पैतृक होने से वादीगण संख्या तीन व चार भी कोपार्सनर है एवं वादीगण लगातार पूर्वजो के समय से बतौर खातेदार काबिज काश्त होने से स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

.... जिम्मे अपीलाण्ट्स

उक्त तनकी के सम्बन्ध में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 से 25 अनुसार उपरोक्त भूमि अपीलाण्ट्स के पूर्वज विक्रमसिंह के खातेदारी की दर्ज रही है। अपीलाण्ट्स की ओर से मौखिक साक्ष्य द्वारा भी कब्जा काश्त अपीलाण्ट्स का और उनके पूर्वजो का साबित किया है, जिसे तनकी संख्या 1 में प्रमाणित माना गया है। अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 विक्रमसिंह के पौत्र / पौत्री तथा मानवेन्द्रसिंह के पुत्र पुत्री है, साथ ही अपीलाण्ट संख्या 3 व 4 विक्रमसिंह के पड़पौत्र, पड़पौत्री एवं मानवेन्द्रसिंह के पौत्र पौत्री है। मानवेन्द्रसिंह की मृत्यु के समय अपीलाण्ट संख्या 3 व 4 का जन्म होना भी अपीलाण्ट्स की ओर से साक्ष्य में प्रमाणित किया गया है, इसलिए विधिक रूप से कोपार्सनर हो चुके है और अपने विधिक हक, अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। इस प्रकार यह तनकी भी अपीलाण्ट्स के पक्ष में निर्णित की जाती है।

(3) आया वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में बनाम मठ महादेवजी वर्तमान जमाबंदी में दर्ज होने से यह वाद पोषणीय नहीं है।

.... जिम्मे रेस्पोडेण्ट

उक्त तनकी को साबित करने का भार रेस्पोडेण्ट पर है। रेस्पोडेण्ट ने तनकी को साबित करने हेतु पटवारी हल्का डी.डब्ल्यू—1 चचंल दवे के बयान करवाये, इसके अलावा अन्य कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। इसके विपरीत अपीलाण्ट्स की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 से 25 राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू—1 से 5 को पेश किया गया है, जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि पर अपीलाण्ट्स के पूर्वज विक्रमसिंह संवत् 2012 में खातेदार दर्ज थे जो संवत् 2026 तक राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज रहे है, इसके पश्चात् बिना किसी आधार के उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड से म्यूटेशन संख्या 254 से 256 व 660 से 662 द्वारा हटा दिया गया। उक्त सभी म्यूटेशनो को तनकी संख्या 1 में वर्णित अनुसार शून्य व अवैध घोषित किया गया है तथा मौके पर साक्ष्य अनुसार अपीलाण्ट्स का कब्जा काश्त साबित माना गया है, ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 3 को रेस्पोडेण्ट साबित नहीं कर सके है, इसलिए तनकी संख्या 3 रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

(4) आया खातेदारी होने पर भूमि सिलिंग में जायेगी या नहीं?

.... जिम्मे रेस्पोडेण्ट

उपरोक्त तनकी न्यायालय द्वारा बनाई गई है, क्योंकि अपीलाण्ट्स द्वारा करीब 700 बीघा से अधिक भूमि की खातेदारी उपरोक्त वाद से चाही गई है। उपरोक्त खातेदारी अधिकार दिये जाने पर सिलिंग कानून के तहत् प्रकरण की क्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

स्थिति रहेगी, इसके संबंध में उपरोक्त तनकी न्यायालय द्वारा स्वविवेक से बनाई गई है। इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट्स द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलाण्ट्स के पास अन्य खातेदारी भूमि नहीं है इसलिए उपरोक्त भूमि विधिक रूप से धारण कर सकते है। रेस्पोडेण्ट की ओर से निवेदन किया गया कि उपरोक्त भूमि के खातेदारी अधिकार अपीलाण्ट्स को दिये जाते है तो भूमि सिलिंग प्रभावित होगी और सिलिंग कानून के तहत् कार्यवाही की जाएगी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऑडरशीट दिनांक 12.10.2020 एवं 19.10.2020 को न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट को नोटिस जारी कर जवाबदावा में अंकित आदेश एवं अन्य सबूत सिलिंग आदि के सम्बन्ध में पेश करने हेतु लिखा गया था, लेकिन रेस्पोडेण्ट द्वारा न तो जवाबदावा में वर्णित आदेश प्रस्तुत किया, न ही सिलिंग से संबंधित दस्तावेज तथ्य पेश किये गये, ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह मंत है कि अपील निर्णित होने के बाद अपीलाण्ट्स के नाम कितनी भूमि रहेगी और कितनी भूमि विधिनुसार धारण करने के अधिकारी रहेगें, साथ ही अपीलाण्ट्स के नाम दर्ज खातेदारी भूमि सिलिंग प्रभावित रहेगी या नहीं? यह तथ्य भूमिधारी ही तय करेगा, ऐसी स्थिति में उपरोक्त तनकी को इसी अनुरूप निर्णित की जाती है।

उपरोक्तानुसार तनकी संख्या 1 व 2 अपीलाण्ट्स के पक्ष में निर्णित होने एवं तनकी संख्या 3 रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध निर्णित होने तथा वादपत्र में वर्णित अभिवचनो, दस्तावेजात प्रदर्श 1 से 24, राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रो एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों अनुसार अपीलाण्ट्स की अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट्स की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपर वर्णित प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों एवं राज्य सरकार के परिपत्रों के अध्यधीन अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाता है, प्रश्नगत भूमि पूर्व से ही जागीरी ठिकाने की रही है उपलब्ध राजस्व रेकर्ड जमाबदी एवं अन्य राजस्व रेकर्ड से यह सिद्ध होता है। तथा अपीलाण्ट्स को ग्राम भाकरीवाला के खसरा नं. 447/1 रकबा 326 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 447/2 रकबा 327 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 442 रकबा 64 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, साथ ही म्यूटेशन संख्या 254 से 256 एवं म्यूटेशन संख्या 660 से 662 को एवं उसमें वर्णित आदेशों को अपीलाण्ट्स के हक, हकुक, हितो के विरूद्ध शून्य घोषित किया जाता है, अपीलाण्ट्स के कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग में रेस्पोडेण्ट व उसके प्रतिनिधि किसी प्रकार की दखल, बाधा, व्यवधान उत्पन्न नहीं करने बाबत् रेस्पोडेण्ट को स्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा के लिए पाबंद किया जाता है। रेस्पोडेण्ट भूमिधारी राजस्व रेकर्ड में माफिक निर्णय अमलदरामद करें तथा राजस्व रेकर्ड को दुरस्त करें। डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 12-11-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली